

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बलौदाबाजार (छ0ग0)

शुद्धिपत्र (Corrigendum)

क्रमांक /चयन समिति/2026

बलौदाबाजार, दिनांक 07 अगस्त, 2026

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश बलौदाबाजार द्वारा जारी किये गये विज्ञापन क्रमांक 2057 / दो-12-17 / 2013 दिनांक 23.07.2026 के कंडिका (2) उच्चतम आयु सीमा में छूट की उपकण्डिका 2 (दो) (1) में लिपकीय त्रुटि सुधार करते हुए, उक्त कंडिका को निम्नानुसार पढ़ा जावे-

“अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पुरस्कृत दंपतियों के सवर्ण सहभागी को सामान्य प्रशासन विभाग के क्रमांक सी 3/10/85/3/1 दिनांक 29.06.1985 के संदर्भ में अधिकतम आयु की सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जावेगी।”


अध्यक्ष

भर्ती/चयन समिति

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
बलौदाबाजार (छ.ग.)